पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 355

थाना कांड संख्या-142 वर्ष-2017 थाना-सलाखुआ जिला-सहरसा से उत्पन्न

==========

लड्डु कुमार मेहता, पुत्र स्वर्गीय कैलाश मेहता, गाँव-पहाड़पुर, थाना-सौरबाजार ओ.पी.-पातरघाट, जिला- सहरसा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. अमरजीत कुमार, पुत्र सुरेंद्र सिंह, निवासी गाँव-बहुरुआ, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा।

.....उत्तरदाताओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सतीश कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री दिनेश महाराज, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री बाल मुकुंद प्रसाद सिन्हा, स.लो. अ.
विपक्षी सं.2 के लिए	:	कोई नहीं।

==========

अधिनियम/धाराएं:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 307*
- *किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 9 व 94*

संदर्भित वाद:

- *ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 8 SCC 602*
- *पी. युवप्रकाश बनाम राज्य, 2023 SCC Online SC 846*
- *बब्लू पासी बनाम झारखंड राज्य, (2008) 13 SCC 133*

- *अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2012) 9 SCC 750*
- *बीरद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित, 1988 Supp SCC 604*
- *जबर सिंह बनाम दिनेश, (2010) 3 SCC 757*
- *रविन्दर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 5 SCC 584*
- *पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 12 SCC 744*
- *नवाज़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 13 SCC 751*
- *राजू बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 3 SCC 235*

मामला: *यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका उस आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसमें सत्र न्यायाधीश ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा याची को किशोर घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया था।*

निर्णय: *यदि स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड को किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने की अनुमति नहीं है। केवल स्कूल प्रमाण पत्र के अभाव में ही जन्म प्रमाण पत्र (नगर निगम/पंचायत द्वारा जारी) और उसके बाद चिकित्सा परीक्षण (जैसे अस्थि परीक्षण) पर विचार किया जा सकता है। (अनुच्छेद 19)*

याची ने अपनी मैट्रिक परीक्षा की मूल अंकतालिका, पंजीकरण कार्ड व प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए हैं, और इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई आधार रिकॉर्ड पर नहीं है। (अनुच्छेद 27)

पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। (अनुच्छेद 29)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीख : 20-03-2025

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान स.लो. अ. मौजूद हैं। हालाँकि, वैध नोटिस की सेवा के बावजूद, विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अपील संख्या 28/2017 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सहरसा द्वारा पारित दिनांक 19.11.2018 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सलखुआ थाना काण्ड संख्या 142/2017 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या 1975/2017 में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, सहरसा द्वारा पारित दिनांक 06.10.2017 के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने याचिकाकर्ता/लड्डू कुमार मेहता को किशोर घोषित किया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के बाद मामले को किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेज दिया था ताकि याचिकाकर्ता की आयु का नए सिरे से निर्धारण किया जा सके, जिसमें "वैज्ञानिक उपकरणों और तरीकों" का उपयोग किया जा सके।

3. इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि अमरजीत कुमार नामक व्यक्ति की लिखित रिपोर्ट पर 2017 का सलखुआ थाना काण्ड 142 भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 307 और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत याचिकाकर्ता और कथित पीड़ित के पति, बहनोई और सास सहित तीन अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता पीड़ित का बहनोई है। निचली अदालत के अभिलेखों के अनुसार, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने विद्वान अ. मु. न्य. द.-II सहरसा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद, याचिकाकर्ता को किशोर पाते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को किशोर न्याय बोर्ड, सहरसा को स्थानांतरित कर

दिया। शारीरिक उपस्थिति से ज्ञात किशोर न्याय बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष से अधिक प्रतीत होती है।

4. इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से उसे किशोर घोषित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया। अपने दावे के समर्थन में उसने 2015 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा का मूल पंजीकरण कार्ड, मूल प्रवेश पत्र और मूल अंक पत्र दाखिल किया, जिसमें उसकी उम्र 23.02.2000 दिखाई गई। हालांकि, राज्य द्वारा इस आवेदन का कभी विरोध नहीं किया गया और न ही दस्तावेजों की वास्तविकता/सत्यता के बारे में कोई संदेह व्यक्त किया गया। लेकिन जांच करते समय विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने याचिकाकर्ता द्वारा पहले उपस्थित मध्य विद्यालय, पहाड़पुर की प्रधानाध्यापिका को भी बुलाया है। हालांकि, मैट्रिक की परीक्षा के समय वह उत्क्रमित एम एस पंचलाख मेकामा सोनबरसा में पढ़ रहा था।

5. जांच के दौरान याचिकाकर्ता की मां मंजुला देवी और भाई अरविंद कुमार से भी जांच की गई और जांच के बाद विद्वान किशोर न्याय बोर्ड मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्रों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता किशोर है। हालांकि, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील में, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को किशोर न्याय बोर्ड को याचिकाकर्ता की उम्र नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश देते हुए वापस भेज दिया। अपीलीय न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान स.लो. अ. को सुना।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि निचली अपीलीय अदालत ने विद्वान किशोर न्याय बोर्ड के उस आदेश को गलत तरीके से रद्द कर दिया है, जिसके

तहत याचिकाकर्ता को किशोर घोषित किया गया था। उन्होंने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विधानमंडल ने किसी आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान की है, अगर वह किशोर होने का दावा कर रहा है। अधिनियम की धारा 94 के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र आरोपी की उम्र का निर्णायक सबूत हैं और उसके बाद, अदालत को कोई भी जांच करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि शारीरिक उपस्थिति के आधार पर संदेह न हो।

8. वह आगे प्रस्तुत करता है कि दस्तावेजों के अनुसार, कथित संलिप्तता पर याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष 04 महीने और 05 दिन है और पता चला कि अ.मु. न्या.द. या यहां तक कि किशोर न्याय बोर्ड को याचिकाकर्ता की शारीरिक उपस्थिति को देखते हुए उसकी आयु के बारे में कोई संदेह नहीं था। याचिकाकर्ता की शारीरिक उपस्थिति के अनुसार, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष से अधिक है और इसलिए, उसने अपनी आयु निर्धारित करने के लिए जांच की।

9. उन्होंने आगे कहा कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रथम विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के साक्ष्य और अन्य जांच गवाहों के साक्ष्य पर गलत तरीके से भरोसा किया है और उनके साक्ष्य का गलत मूल्यांकन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता की आयु के संबंध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश संधारणीय नहीं है।

10. हालांकि, राज्य के विद्वान स.लो.अ. ने आरोपित निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं है और इसलिए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

11. हालाँकि, इससे पहले कि मैं पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूं, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद '2015 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9 और 94 का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस मामले में लागू होता है, क्योंकि कथित घटना इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुई है।

12. 2015 के अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार हैः

"9. ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है।

(1) जब कोई मजिस्ट्रेट, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, की राय है कि जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है और जिसे उसके समक्ष लाया गया है, वह बालक है, तो वह बिना किसी विलम्ब के ऐसी राय दर्ज करेगा और बालक को ऐसी कार्यवाही के अभिलेख के साथ अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप है, बोर्ड के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति बालक है या अपराध किए जाने की तिथि को बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध किए जाने की तिथि को बालक था, तो उक्त न्यायालय जांच करेगा, ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य लेगा (किन्तु शपथ-पत्र नहीं), और मामले पर निष्कर्ष दर्ज करेगा, जिसमें व्यक्ति की आयु यथासंभव लगभग बताई जाएगी:

बशर्ते कि ऐसा दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकेगा और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, और ऐसे दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उससे पहले बालक न रहा हो।

(3) यदि न्यायालय पाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वह ऐसे अपराध के किए जाने की तिथि पर बालक था, तो वह बालक को

उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंड, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।

(4) यदि इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संरक्षणात्मक अभिरक्षा में रखे जाने की आवश्यकता है, जबकि उस व्यक्ति के बालक होने के दावे की जांच की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को बीच की अवधि में सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

13. 2015 के अधिनियम की धारा 94 इस प्रकार हैः

"94. आयु का अनुमान और निर्धारण।

(1) जहां समिति या बोर्ड को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति एक बालक है, समिति या बोर्ड बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगा और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा-

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल और (i), (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगाः

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।"

(जोर दिया गया)

14. 2015 के अधिनियम की धारा 9 और 94 के अर्थ और अधिदेश के संबंध में न्यायिक मिसालों की एक श्रृंखला है। **ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 8 एससीसी 602** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर होने का दावा करने वाले व्यक्ति की किशोरता के निर्धारण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के अधिनियम की धारा 9 और 94 दोनों का उल्लेख किया और लगभग सभी प्रासंगिक न्यायिक उद्धरण को स्कैन किया और किशोरता के निर्धारण के संबंध में कानून को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया::

"33. उपर्युक्त निर्णयों की श्रृंखला पर विचार करने पर जो बात सामने आती है, वह इस प्रकार है:

33.1. किसी भी आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, किशोर होने का दावा किया जा सकता है। किशोर होने का दावा करने में देरी ऐसे दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। इसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार भी उठाया जा सकता है।

33.2. किशोर होने का दावा करने वाला आवेदन न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किया जा सकता है।

33.2.1. जब किशोर होने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष उठता है, तो यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या किशोर न्याय बोर्ड

के समक्ष लाया जाता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

33.2.2. यदि किशोर होने का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है, तो किशोर होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के प्रावधान लागू होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) को धारा 9 की उपधारा (2) के साथ लागू या पढ़ा जाना होगा ताकि व्यक्ति की यथासंभव आयु का पता लगाने के लिए साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

33.2.3. जब किशोर होने का दावा करने वाला आवेदन किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत किया जाता है, जब कथित अपराध के बारे में मामला अदालत के समक्ष लंबित है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि किशोर न्याय बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इसलिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण की डिग्री, जब किशोर होने का दावा करने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है, जब मुकदमा संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष होता है, उस अदालत द्वारा जांच किए जाने की तुलना में अधिक होता है जिसके समक्ष अपराध के बारे में मामला लंबित है (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार)।

33.3. <u>जब किशोर होने का दावा किया जाता है, तो दावा करने वाले व्यक्ति पर न्यायालय को प्रारंभिक दायित्व से मुक्त करने का दायित्व होता है। हालांकि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12(3)(ए)(i), (ii) और (iii) या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। उक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने का अनुमान लगाया जा सकता है।</u>

33.4. हालांकि, उक्त अनुमान किशोर होने की आयु का निर्णायक सबूत नहीं है और इसे विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विपरीत साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।

33.5. न्यायालय द्वारा जांच की प्रक्रिया, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष वांछित व्यक्ति की किशोर के रूप में आयु घोषित करने के समान नहीं है, जब मामला संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए लंबित हो। जांच के मामले में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर घोषणा की जाती है। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु, उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इस प्रकार, जांच में प्रमाण का मानक, कार्यवाही में अपेक्षित मानक से भिन्न है, जहां किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण और घोषणा, जांचे गए साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए और उसे तभी स्वीकार किया जाना चाहिए, जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

33.6. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर और प्रत्येक मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के आधार पर होना चाहिए।

33.7. इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जब अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि वह किशोर था, तो अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय को सीमावर्ती मामलों में आरोपी को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का लाभ कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों पर लागू किया जा सके। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा न किया जाए।

33.9. जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार माना जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाए गए

किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज में निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी।

33.10. कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप है, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

33.11. अस्थिभंग परीक्षण आयु निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में विचार करने के लिए केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।"

(जोर दिया गया)

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन SC **846** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"13. उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि जहां भी किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वह पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित है, तो न्यायालयों को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में बताए गए कदमों का सहारा लेना होगा। किशोर न्याय अधिनियम में जिन तीन दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें से संबंधित न्यायालय को निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार करके आयु निर्धारित करनी होगी:

(i) स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और इसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण अस्थिभंग परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

16. इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक उदाहरणों के अनुसार, यह बात सामने आती है कि जब अभियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अपनी किशोरावस्था के बारे में दावा करता है, तो बोर्ड को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अभियुक्त की आयु का अनुमान लगाना या निर्धारित करना आवश्यक है।

17. यह भी पता चलता है कि अभियुक्त के किशोर होने को साबित करने का प्रारंभिक भार अभियुक्त पर ही है। इस प्रारंभिक भार को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में दिए गए आयु निर्धारण की प्रक्रिया के संदर्भ में पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड /समिति/न्यायालय को अभियुक्त के किशोर होने की धारणा को उठाना होगा, यदि वह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में संदर्भित दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट है। हालांकि, किशोर न्याय बोर्ड की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के आधार पर अनुमान किशोर होने की उम्र का निर्णायक सबूत नहीं है। इस तरह की धारणा को विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विपरीत साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।

18. किशोर होने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रमाण का मानक, अभियुक्त को किशोर घोषित करने के लिए उसकी आयु निर्धारित करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में आवश्यक मानक से भिन्न है। ऐसी कार्यवाही में, अभियुक्त की आयु रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जानी आवश्यक है। हालाँकि, जब अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि वह किशोर था, तो अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो बोर्ड को अधिनियम 2015 की परोपकारी प्रकृति के मद्देनजर अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना आवश्यक है। हालाँकि, बोर्ड को यह भी सतर्क रहने की आवश्यकता है

कि 2015 के परोपकारी अधिनियम का बेईमान व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा से बचने के लिए दुरुपयोग न किया जाए। **(ऋषिपाल सिंह सोलंकी केस** (उपरोक्त) **और बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य, (2008) 13 एससीसी 133** देखें**)**

19. यह भी पता चलता है कि आयु निर्धारण के लिए साक्ष्य की सराहना करते समय, बोर्ड को धारा 94 की उपधारा (2) में दी गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जिसके अनुसार, व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र को किसी अन्य प्रमाण पर पहली प्राथमिकता दी गई है। यदि स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, तो बोर्ड को किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने से रोक दिया जाता है। केवल ऐसे स्कूल प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में, बोर्ड को नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करने की आवश्यकता होती है और केवल ऐसे जन्म प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, बोर्ड व्यक्ति की आयु का निर्धारण अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य चिकित्सा परीक्षण द्वारा कर सकता है। इस प्रकार, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के अनुसार, आयु निर्धारण के लिए मौखिक या अन्यथा कोई अन्य साक्ष्य अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए बाहर रखा गया है।

20. यहां यह भी बताना उचित होगा कि जब किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजी सबूत उपलब्ध हैं और वे फर्जी या हेरफेर किए हुए नहीं पाए जाते हैं, तो बोर्ड से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह व्यक्ति की अस्थिकरण जांच या किसी अन्य चिकित्सा परीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों के पीछे जाए। यहां, कोई व्यक्ति **अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2012) 9 एससीसी 750** का संदर्भ ले सकता है, जिसमें **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने निम्नलिखित माना है:

> "34. किशोर न्याय अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत विचाराधीन आयु निर्धारण जांच का अन्य कानूनों, जैसे सेवा में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि के तहत जांच से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्रों में की गई प्रविष्टि, पहले स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण-पत्र और यहाँ तक कि किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय अधिनियम के तहत काम करने वाली समिति से ऐसी कोई जांच करने और उन प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जाँच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जो सामान्य कामकाज के दौरान रखे जाते हैं। केवल उन मामलों में जहाँ वे दस्तावेज़ या प्रमाण-पत्र जाली या हेरफेर किए गए पाए जाते हैं, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।"
>
> **(जोर दिया गया)**

21. यह भी स्पष्ट है कि नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी आयु या जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में स्कूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी प्रमाणों की सराहना करते समय, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में निहित सिद्धांतों की कसौटी पर उनकी सराहना की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसे दस्तावेजों को लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के प्रदर्शन में अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए।

22. बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित, 1988 पूरक एससीसी 604 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत दस्तावेजों को स्वीकार्य बनाने के लिए, निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए, सबसे पहले, जिस प्रविष्टि पर भरोसा किया जाता है वह किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड में होनी चाहिए; दूसरी बात, यह किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य को बताने वाली प्रविष्टि होनी चाहिए; और तीसरी बात, यह किसी**27**

सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट कर्तव्य के प्रदर्शन में बनाई जानी चाहिए।

23. बिराद मल सिंघवी मामले (उपरोक्त) में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने यह भी माना है कि स्कूल रजिस्टर में जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रासंगिक और स्वीकार्य है, लेकिन स्कूल रजिस्टर में किसी व्यक्ति की आयु के बारे में प्रविष्टि उस व्यक्ति की आयु साबित करने के लिए बहुत साक्ष्य मूल्य की नहीं है, जिस पर आयु दर्ज की गई थी।

24. जबर सिंह बनाम दिनेश, (2010) 3 एससीसी 757 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कोई भी दस्तावेज जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाए नहीं रखा जाता है, ऐसे दस्तावेज व्यक्ति की आयु के निर्धारण के उद्देश्य से साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।

25. रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 5 एससीसी 584 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि की प्रविष्टि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, यह मानते हुए कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उक्त जन्म तिथि स्कूल द्वारा बनाए गए रजिस्टर में साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में निहित कानून की आवश्यकताओं के अनुसार दर्ज की गई थी। उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया कि अपीलकर्ता के माता-पिता में से किसी ने भी, जो उसके प्रवेश के समय उसके साथ स्कूल गए थे, इस संबंध में कोई बयान दिया या कोई सबूत पेश किया। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से मामले के उद्देश्य के लिए तैयार की गई थीं।

26. कई मामलों में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आरोपी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने में वैध प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्रों, जिसमें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी शामिल है, पर भरोसा किया है। (**पराग भाटी बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 12 एससीसी 744, नवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 13 एससीसी 751 और राजू बनाम हरियाणा राज्य, (2010)3 एससीसी 235 देखें)

27. वर्तमान मामले की बात करें तो, मैं पाता हूं कि याचिकाकर्ता ने आवेदन देकर अपने किशोर होने का दावा करने के बाद, मैट्रिकुलेशन की मूल मार्कशीट, मूल पंजीकरण कार्ड और मूल प्रवेश पत्र के अलावा, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इन दस्तावेजों की सत्यता के बारे में कोई संदेह हो या यह संदेह हो कि ये दस्तावेज सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाए और जारी नहीं किए गए थे। ऐसे में, किशोर न्याय बोर्ड के लिए याचिकाकर्ता की उम्र के बारे में कोई अन्य सबूत पेश करने का कोई कारण नहीं था। तदनुसार, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने याचिकाकर्ता द्वारा उसके समक्ष दायर मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर सही ढंग से भरोसा किया और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि के अनुसार उसे किशोर घोषित किया। हालांकि, अपीलीय न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को खारिज कर दिया और मामले को वापस लेते हुए किशोर न्याय बोर्ड को याचिकाकर्ता की उम्र को "वैज्ञानिक उपकरणों और तरीकों का उपयोग करके" नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दिया।

28. अतः मैं पाता हूँ कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है, अतः इसे निरस्त किया जाता है तथा विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को कथित अपराध की तिथि पर किशोर घोषित किया गया है।

29. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

30. मामले का निचली अदालत का रिकॉर्ड तत्काल संबंधित अदालत को लौटाया जाए।

31. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाए।

32. विद्वान महानिबंधक से अनुरोध है कि वे इस आदेश को बिहार के सभी किशोर न्याय बोर्डों और बाल न्यायालयों में प्रसारित करें और इसकी एक प्रति बिहार न्यायिक अकादमी को भी भेजें ताकि बाल न्यायालयों और किशोर न्याय बोर्डों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस पर चर्चा की जा सके।

(जितेंद्र कुमार, न्यायाधीश)

शोएब/चंदन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता।

समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।